

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०



Rs. 30/-

RS167-III/16

वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र सिंहपुर जिला सतना म०प्र०.....

निगराकार

बनाम

रामकिशोर सिंह तनय श्री धनुषधारी सिंह उम्र 63 वर्ष निवासी ग्राम गौहानी

हाल निवास इन्द्रपुरी कालोनी भोपाल म०प्र०.....

गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू

राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश

दिनांक 25.2.2016 पारित द्वारा नायब

तहसीलदार सर्किल कोठी तहसील

रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०

रा.प्र.क. 28अ70/15-16

मान्यवर,

निगराकार उक्त प्रसंग में निम्न तथ्यों एवं कानूनी आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करता है :-

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि :-

निगराकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 9.2.2016 को आवेदन अन्तर्गत धारा 32 एवं 115 म०प्र० भू राजस्व 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया और उक्त आवेदन में लेख किया कि अनावेदक द्वारा शासकीय आराजी नं० 113/1 रकवा 1.526 हे. के अंश रकवे की आराजी नं० 113/3 रकवा 0.031 हे. राजस्व अभिलेख के खसरा वर्ष 1986-87 के कालम नं० 18, 19, 20 में आदेश श्रीमान् नायब तहसीलदार 90बी121 दिनांक 30.7.87 रामकिशोर पिता धनुषधारी सिंह सा. कोठी भूस्वामी की दर्ज

WJ

R

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

97

प्रकरण क्रमांक II/निग0/2016/5167

जिला-सतना

वनपरिक्षेत्राधिकारी सिंहपुर/ रामकिशोर सिंह

(1)	(2)	(3)
05/8/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जसराम विश्वकर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, वृत्त कोठी, तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 28/अ-70/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 25.02.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">M</p> <p style="text-align: right;">(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	